न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:

प्रथम अपील संख्या 26 / 2023

श्री बसन्तीलाल सेवानिवृत्त अध्यापक, निवासी वार्ड न0 13, कानोडिया फैक्ट्री के पीछे, खेतडी, जिला झु

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिन

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिक तहत दिनांक 24.01.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 26 / 2023 01.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिक विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 25.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पीए / सू0अ0अ0(40) / 2022 / 127 2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री बसन्तीलाल से0नि0 अध्यापक पु निवासी वार्ड न0 17, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0) का सूचना के अधिकार अधि तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 29.11.2022 को प्राप्त हुआ। आवेद पत्र मे चाही गई सूचना कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खेतडी से संबंधित होने के कार आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस कार्यालय पी0ए0 / सू0अ0अ0 / (40) / 2022 / 998—1000 दिनांक 29.11.2022 द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिक अन्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पीए / सू0अ0अ0(40) / 2022 / 127 2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री बसन्तीलाल से0नि0 अध्यापक पु निवासी वार्ड न0 17, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0) का सूचना के अधिकार अधि तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 29.11.2022 को प्राप्त हुआ। आवेद पत्र मे चाही गई सूचना कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खेतडी से संबंधित होने के कार आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत उनके कार्यालय पी0ए0 / सू0अ0अ0 / (40) / 2022 / 998—1000 दिनांक 29.11.2022 द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिक अन्तरित कर दिया गया था। चूंकि प्रार्थी को सूचना ... नहीं करवाई गई है अतः अपीलार्थी क पत्र स्वीकार किया जाकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खेतडी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को से संबंधित सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य ... आ यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कु

जिला कलक्टर